

**फर्द अहकाम**  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ**



**हसंराम**

**बनाम**

**सुखदेव**

**प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.**

**नम्बर 44 सन-2022**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिधियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का लागील में जारी हुए
05.04.2022	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णोय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 89/84 की कुल 0.2530हैक् कृषि भूमि को राक्षम अधिकारी की अनुमति/स्वीकृति के बिना आगामी तारीख पेशी 31.05.2022 तक अकृषि उपयोग में नही लिया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 31.05.2022 को पेश हो।</p> <p align="right">   <b>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>नोहर</b> </p>	
31/5/22	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् वी.ओ. सायल  <b>अभिमान के पद्वारे के /</b>          पत्रावली दि. 31/5/22 को पेश हो।</p>	
21/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् वी.ओ. सायल  <b>अभिमान के पद्वारे के /</b>          पत्रावली दि. 20/12/22 को पेश हो।</p>	
26/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् वी.ओ. सायल  <b>अभिमान के पद्वारे के /</b>          पत्रावली दि. 26/6/23 को पेश हो।</p> <p align="right">  </p>	